

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/बी-42/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

हेमलता, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), राजकीय चिकित्सालय, विजयनगर अजमेर का दिनांक 15.02.2017 से 18.02.2017 तक 04 दिवस व दिनांक 13.03.2017 से 14.03.2017 तक 02 दिवस, दिनांक 23.05.2017 से 24.05.2017 तक 02 दिवस एवं 30.06.2018 से 14.08.2017 तक 46 दिवस तक कुल 54 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 24 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 23-07-2019

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/बी-42/2019/288

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 5436 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिका की सेवापुस्तिका में करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिनाय, अजमेर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर